



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 536 वर्ष 2026

रामनाथ उर्फ रामनाथ यादव

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवोत्तम पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 19.07.2018 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि वर्तमान याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को बेहतर कथनों और दस्तावेजों के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
3. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
4. तदनुसार, रिट याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता दी जाती है।
5. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिका के साथ संलग्न आदेश की प्रमाणित प्रति की फोटोकॉपी अपने पास रखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को लौटा दी जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"